

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्या:-419/17 ((RCMS No. 2017/00445) 18 आयुध अधिनियम 1959)

हरिओम पुत्र अमर सिंह जाति जाट निवासी ग्राम सूरौता थाना कुम्हेर जिला भरतपुर

.....अपीलान्त

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

.....रैस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर दिनांक 19.06.2017

उपस्थिति:-

1. श्री दिलीप सिंह वकील अपीलान्त
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

निर्णय

दिनांक: 15.02.2018

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर के निर्णय दिनांक 19.06.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पूर्व में जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 18.10.2010 के आधार पर अपीलान्त का शस्त्र अनुज्ञापत्र सं० 06/2002 दिनांक 25.10.2010 को निरस्त किया गया था। जिसकी अपील संभागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय में की गई थी। संभागीय आयुक्त भरतपुर ने सुनवाई कर अपील दिनांक 10.08.2011 को स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि अपीलान्त को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः अपीलान्त को सुनकर आर्म्स रूल्स 2016 में प्रचलित नियमों के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने का निर्देश देकर प्रकरण का निस्तारण दिनांक 19.06.17 को किया है। इस आदेश के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्त का तर्क है कि अपीलान्त के शस्त्र अनुज्ञापत्र के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर से चरित्र के बारे में रिपोर्ट मांगी गई थी जिस पर पुलिस अधीक्षक भरतपुर ने अपने पत्रांक 1913 दिनांक 07.08.14 से अपीलान्त के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण करने की अनुशंसा की थी। इसके अलावा पुलिस थाना कुम्हेर द्वारा भी अपने पत्रांक 2231 दिनांक 02.08.2014

से भी अपीलान्त के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण करने की अनुशंसा की है। इसके बाबजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक भरतपुर पुलिस थाना कुम्हेर की अनुशंसा पर कोई गौर नहीं करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्त समाज का वरिष्ठ नागरिक है और एक महाविद्यालय एवं अन्य उद्योग धन्धों का संलालन करता है। अपीलान्त अपना शस्त्र आत्मरक्षा के लिये रखता है। अपीलान्त ने कभी शस्त्र का दुरुपयोग नहीं किया है। अपीलान्त के विरुद्ध किसी न्यायालय में या थाने में मुकदमा विचाराधीन नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण करने के आदेश पारित किये जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक का तर्क है कि अपीलान्त के शस्त्र अनुज्ञापत्र को पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया था जिसकी अपील न्यायालय हाजा में की गई थी। न्यायालय हाजा ने पुनः सुनवाई के लिये अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनकर निर्देश दिये हैं कि आर्म्स रूल्स 2016 के तहत अपीलान्त प्रार्थना पत्र पेश करें। वर्तमान में प्रचलित नियमों के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें प्रार्थना पत्र पर बाद कार्यवाही गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। अपीलान्त को आर्म्स रूल्स 2016 के तहत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जाना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश होने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पूर्व में जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 18.10.2010 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त का शस्त्र अनुज्ञापत्र सं० 06/2002 दिनांक 25.10.2010 को निरस्त किया था। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलान्त ने संभागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय में अपील पेश की थी। न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर ने सुनवाई कर अपील दिनांक 10.08.2011 को स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि अपीलान्त को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः अपीलान्त को सुनकर आर्म्स रूल्स 2016 में प्रचलित नियमों के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने का निर्देश देकर प्रकरण का निस्तारण दिनांक 19.06.17 को किया है। अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय में आर्म्स रूल्स 2016 में प्रचलित नियमों के तहत ही प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये था। अपीलान्त ने आर्म्स रूल्स 2016 के तहत कार्यवाही नहीं कर अपील पेश की है, जो उचित नहीं है। हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से सहमत हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्त की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.06.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर